

मुख्य अभियंता (निरूपण) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग बिहार पटना।

पत्रांक-भ0(नि0)अं0सं0-1-नि0-08/26 -
प्रेषक,

पटना, दिनांक-

ई0 विनोद चौधरी,
मुख्य अभियंता (निरूपण)
भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल,
भवन निर्माण विभाग।

विषय- न्यायिक आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के उपर आवश्यकता आधारित अतिरिक्त तल के निर्माण के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय के पत्रांक-138 अनु0 दिनांक-12.02.2026 एवं निबंधक (प्रशासन), पटना उच्च न्यायालय, पटना का पत्रांक-18115-116 दिनांक-10.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के उपर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त तल के निर्माण की संभाव्यता (Feasibility) का सर्वेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया था परन्तु कई प्रमण्डलों द्वारा उक्त प्रतिवेदन अद्यतन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतएव पुनः निदेशित किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा मांगी गयी सर्वेक्षण प्रतिवेदन अविलंब अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(विनोद चौधरी),
मुख्य अभियंता (निरूपण),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

मुख्य अभियंता (निरूपण),
भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक- 337(नि)

पटना, दिनांक- 28/04/2026

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता (निरूपण),
भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना।